


सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य  
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य


8/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को प्रकरण में बार बार, रुक रुककर आवज लगाई गई। बावजूद इसके वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

  
सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर